



तारीख: 16 जनवरी 2026

कटे हुए नोट ब्रिकेट का निपटान, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, कानपुर

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर ने 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 की अवधि के लिए कटे हुए नोट ब्रिकेट के निपटान के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं।

2. विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा एमएसटीसी की साइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> और बैंक की वेबसाइट पर <https://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है। (निविदा संख्या: RBI/Kanpur/Regional Office/Issue/4/25-26/ET/849)।

3. सभी इच्छुक बोलीदाताओं को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

4. कार्य की अनुमानित लागत 01 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (लगभग) है, तथापि वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।

5. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार है:

ई-निविदा अनुसूची	अनुसूची तिथि
एमएसटीसी की वेबसाइट पर ई-टेंडर देखने की तारीख	16 जनवरी, 2026 (शुक्रवार, 15:00 बजे)
बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	09 फरवरी, 2026 (सोमवार, 15:00 बजे)
बोली की तारीख शुरू करें	13 फरवरी, 2026 (शुक्रवार, 15:00 बजे)
ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि	24 फरवरी, 2026 (मंगलवार, 17:00 बजे)
भाग-I खोलने की तिथि	25 फरवरी, 2026 (बुधवार, 15:00 बजे)

5. भाग-II अर्थात मूल्य बोली केवल उन ठेकेदारों/बोलीदाताओं के संबंध में खोली जाएगी जो भाग-I में निर्धारित सभी मानदंडों को उसी दिन या बाद की तारीख में पूरा करते हैं जैसा कि बैंक द्वारा सूचित किया गया है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइटों पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर**

दिनांक: 16 जनवरी 2026



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
कानपुर

RBI/Kanpur/Regional Office /Issue/4/25-26/ET/849

**कटे हुए करेंसी नोट ब्रिकेट/टुकडों का निपटान,
आरबीआई कानपुर के लिए ई-निविदा**

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, एमजी रोड, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को अनुबंधों की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त या निहित हो सकते हैं इसके सहयोग से प्रदान किया गया।

जानकारी के संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध के साथ आगे न बढ़ने या अनुबंध के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ
निविदा की अनुसूची (एसओटी)	5
ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	7
अनुभाग- I- निविदा का प्रपत्र	14
खंड- II- निविदाकर्ताओं और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देश	17
खंड- III- कार्यों का दायरा	33
अनुभाग- IV- निविदाकर्ता (ओं) द्वारा भरा जाने वाला विवरण	36
अनुभाग-V- करार की शर्तें	38
खंड - VI - तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	46
खंड - VII -: भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)	47
खंड - VIII - मूल्य बोली	50
खंड - IX - प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रारूप	51

**भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
कानपुर**

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर कार्यालय (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), प्रतिष्ठित और सक्षम ठेकेदारों से **"कटे हुए करेंसी नोट ब्रिकेट/श्रेड्स के निपटान"** के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित **करता है।** अनुबंध एक वर्ष की अवधि (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027) के लिए होगा, जिसे बैंक द्वारा अपने विवेक पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक-एक वर्ष के लिए, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना किसी बदलाव के साथ, प्रदाता/ओं द्वारा संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन और सेवा के प्रदर्शन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन है।

उपरोक्त कार्य के लिए, निविदाकर्ताओं को ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार, **24 फरवरी, 2026 को शाम 05:00 बजे** या उससे पहले सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदाकार **2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये)** के प्रतिदेय ईएमडी के साथ निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण होगा। ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ई-निविदा **25 फरवरी, 2026 को दोपहर 03:00 बजे** से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा।

निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन (ओं) / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/एमएसटीसी ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

एमजी रोड,

कानपुर- 208001

निविदा अनुसूची (एसओटी)

1	ई-निविदा नंबर	RBI/Kanpur/Regional Office /Issue/4/25-26/ET/849
2	कार्यों का विवरण	निपटान का कटा हुआ मुद्रा नोट ब्रिकेट/टुकड़े।
3	i. काम की अनुमानित लागत i. बयाना धन जमा (EMD) i. लेनदेन शुल्क	₹01 करोड़ प्रति वर्ष एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) दिए जाएंगे। एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी राशि के अंतरण के लिए खाता और अन्य विवरण इस प्रकार हैं: १. लाभार्थी का नाम – आरबीआई, कानपुर २. खाता संख्या – 186003001 ३. IFSC कोड - RBIS0KNPA01 (5वां और 10वां अक्षर शून्य है) लेनदेन शुल्क, जैसा लागू हो, विक्रेता के लॉगिन में उपलब्ध एमएसटीसी के ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उपयोग करके किया जाना है। शुल्क या तो चालान के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान मोड द्वारा किया जा सकता है।
4	कार्यों के दायरे का निष्पादन	एक वर्ष (01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी उद्धृत दरों पर)
5	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi एमएसटीसी लिमिटेड
6	एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	जनवरी 16, 2026 पर 03: 00 PM पर

7	ऑफ-लाइन प्री-बिड मीटिंग का शेड्यूल (वैकल्पिक)	09 फरवरी 2026 को 03 : 00 PM पर
8	ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि www.mstcecommerce.com/epr ocn	13 फरवरी 2026 को 03 : 00 PM पर
9	एनईएफटी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि।	24 फरवरी 2026, 05:00 अपराह्न से पहले
10	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	24 फरवरी 2026, 05:00 अपराह्न से पहले
11	भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	फरवरी 25, 2026 03: 00 PM पर
12	भाग- II के खुलने की तिथि और समय (मूल्य बोली)	पात्र निविदाकर्ताओं को बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। भाग- II अर्थात् मूल्य बोली केवल उन ठेकेदारों/बोलीदाताओं के संबंध में खोली जाएगी जिनका भाग- I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली को बैंक द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है। ऐसे निविदाकर्ता (निविदारों) को भाग- II मूल्य खोलने की तारीख उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ईमेल के माध्यम से सूचित की जाएगी।

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर का एक ई-खरीद कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें। जो निविदाकार दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1

ई निविदा की प्रक्रिया

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई, कानपुर ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन सबमिट किया गया

1. विक्रेताओं के लिए आवश्यक है कि खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करें, इस प्रकार - www.mstcecommerce.com → ई-खरीद → नया कॉमन पोर्टल → विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना → सबमिट करें।
 2. विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।
- किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, कानपुर (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्तियों: RBI, Kanpur

श्री रोहित कुमार वर्मा

सहायक महाप्रबंधक फोन: +91-512-2303413

ईमेल: rverma@rbi.org.in

श्री अक्षय
प्रबंधक, आरबीआई
फोन: + 917007060178
ईमेल: akshay1@rbi.org.in

श्री सत्यपाल सिंह,
सहायक प्रबंधक, आरबीआई
फोन: +918005520058
ईमेल: satypalsingh@rbi.org.in

संपर्क व्यक्ति (MSTC):

1. श्री विजयंत नारायण सिंह, कार्यकारी, 09909080178
2. श्री नितिन आनंद, प्रबंधक, 0522-4240445

एमएसटीसी हेल्पलाइन नंबर (आईवीआर) - 0796906600

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख कर सकता है जो www.mstcecommerce.com/eprochome पर उपलब्ध है

आ) सिस्टम की आवश्यकता

- i. विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- i. IE-7 और इसके बाद के इंटरनेट ब्राउज़र संस्करण।
- i. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- ✓. नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है प्रणाली।
- ✓. DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।
उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > अक्षम करें संरक्षित मोड यदि सक्षम है- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

	<u>अन्य सेटिंग्स:</u> i. उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें। ii. सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार www.mstcecommerce.com पृष्ठ से आईई सेटिंग्स चलाएं)
2.	(अ) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली http://mstcecommerce.com/eproc पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट तिथि और समय पर खोली जाएंगी जैसा कि निविदा में दिया गया है। (आ) भाग-II केवल उन्हीं बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) की मूल्य बोली (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
4.	लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार बदलाव किए बिना लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएससीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी। नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के

	लिए कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें।
--	--

5.	बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एनआईटी में दी गई सलाह के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और ईएमडी का प्रेषण करें। विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है। एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष निविदा के खिलाफ अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी भी निविदा से संलग्न नहीं हैं या आरबीआई कानपुर द्वारा डाउनलोड नहीं किए जा सकते हैं, तो यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।
6.	अपलोड की गई ई-निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
7.	i. कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वाले पक्षों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं को किसी भी परिवर्तन के बारे में खुद को अवगत रखना होगा और निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से वेबसाइट देखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को याद नहीं किया है। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी। ii. इस एनआईटी को शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eproc देखें।
8.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
9.	ई-निविदा में बोली लगाना अ) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) अलग से जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेन-देन शुल्क वापस नहीं किए जा सकते हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को कार्य सौंपे जाने के तुरंत बाद आरबीआई, कानपुर द्वारा वापस कर दिया जाएगा। आ) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है, साथ ही मूल्य बोली।

- इ) जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा किया है, वे केवल अपना टेक्नो कमर्शियल जमा कर सकते हैं बोलियां तथा कीमत बोली के माध्यम से इंटरनेट में एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → मेरा मेनू → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → टेक्नो कमर्शियल बिड।
- ई) विक्रेता जावा अनुप्रयोग चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- उ) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है
- नोट:** - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और विकल्प दिखाई देंगे, "बोली निकालें" और "बोली हटाएं"। यदि विक्रेता अपनी बोली स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है तो उन्हें बोली वापस लेने के लिंक पर क्लिक करना चाहिए। वह फिर से बोली नहीं लगा पाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।
- ऊ) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- ऋ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- ल) ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- एँ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और बैंक द्वारा इसे स्वीकार करने से आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए बैंक और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनेगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**
- ऐ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम

	द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए। ऐ) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है। ऑ) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर होनी चाहिए ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में।
10.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी आदेश नियम और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा उसमें उल्लेख किया गया है।
11.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
12.	आरबीआई, कानपुर को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तारीख बढ़ाने का अधिकार है।
13	विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ में वीडियो देखें। तकनीकी सहायता के लिए, एमएसटीसी अधिकारियों से 05224244702/05224240445 पर पहले से ही संपर्क किया जा सकता है और बोलीदाताओं को अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचने की सलाह दी जाती है। एमएसटीसी से आवश्यक किसी भी तकनीकी सहायता के मामले में, बोलीदाताओं को ई-निविदा बंद होने के दिन से कम से कम एक दिन पहले एमएसटीसी से संपर्क करना चाहिए और अपने सभी प्रश्नों का समाधान करना चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कोई अन्य अपलोड किए गए दस्तावेज जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा।
15	बोलों का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। व्यवसाय के निलंबन और प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है बैंक द्वारा डिफॉल्ट करने वाले बोलीदाताओं के खिलाफ।

खंड I - निविदा का रूप

स्थान _____

तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

एमजी रोड,

कानपुर

प्रिय महोदय,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित करने की पेशकश करते हैं मूल्य बोली में और सभी मामलों में विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार लिखित रूप में समझौते के लेखों में संदर्भित किया गया है, निविदाकर्ता (ओं) को सामान्य निर्देश और अन्य सभी मामलों में विशेष शर्तें, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(क)	कार्यों का विवरण	कटे हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट/टुकड़ों का निपटान
(ख)	अनुमानित लागत	₹ 1 करोड़ प्रति वर्ष
(ग)	बयाना पैसा	₹ 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये)
(घ)	भुगतान का तरीका	एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) दिए जाएंगे। एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी राशि के अंतरण के लिए खाता और अन्य विवरण इस प्रकार हैं: १. लाभार्थी का नाम – आरबीआई, कानपुर २. खाता संख्या – 186003001 ३. IFSC कोड - RBIS0KNPA01 (5वां और 10वां अक्षर शून्य है)
(ङ)	कार्यों के दायरे का निष्पादन	एक वर्ष (01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी उद्धृत दरों पर)।

- मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और असाधारण परिस्थितियों में, वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और मुझे/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।
- क्या इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं/हम या मेरे उत्तराधिकारी, या समनुदेशित या नामांकित व्यक्ति इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं और डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या

नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

3. मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए कोई कारण बताए बिना।
4. निविदा ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की जाती है, अर्थात् भाग-I और भाग II. भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

इस दिनांकित _____ का दिन _____ 2026.

मैसर्स मैसर्स की ओर से और उसकी ओर से _____

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों के

(1) हस्ताक्षर

नाम, पता और तारीख

(2) हस्ताक्षर

नाम, पता और तारीख

ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और अनुबंध की विशेष शर्तें (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए प्रासंगिकता में पढ़ा जाना चाहिए)

2.1 निविदाकर्ता के लिए पात्रता

निविदाकर्ताओं को अनुभवी, साधन संपन्न और वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/साझेदारी/मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए:

i. अनुभव

निविदाकर्ताओं को इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए * (पिछले 5 वर्षों के दौरान महीने के अंतिम दिन को समाप्त करने के लिए, जिनमें से एक के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं)। आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। आवेदक को 5 साल के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (यानी; यदि विज्ञापन वर्ष 2010 में जारी किया जाता है, तो आवेदक को 2005 में कार्य करना चाहिए था)।

ii. प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य -

पिछले 5 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक इसी तरह के कार्यों को पूरा करने का अनुभव, जिसमें से एक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

१) इसी तरह के तीन पूर्ण किए गए कार्यों में से प्रत्येक की लागत 40 लाख (अनुमानित लागत का 40%) के बराबर राशि से कम नहीं है।

या

२) दो समान पूर्ण किए गए कार्यों में से प्रत्येक की लागत 50 लाख (अनुमानित लागत का 50%) के बराबर राशि से कम नहीं है।

या

३) इसी तरह के एक काम की लागत 80 लाख (अनुमानित लागत का 80%) के बराबर राशि से कम नहीं है।

iii. वार्षिक टर्नओवर

निविदाकर्ता के पास 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 100% यानी 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बराबर राशि का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iv. ऋणशोधन क्षमता

निविदाकर्ता को आवेदक के बैंकर द्वारा जारी एक सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, विशेष रूप से पैनल में शामिल करने/कार्य के उद्देश्य के लिए, ₹ 1 करोड़ के बराबर राशि के लिए।

- v. अनुबंध के सफल पुरस्कार के मामले में, निविदाकर्ता के पास सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध के निष्पादन के लिए कानपुर में एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय होगा; निविदा में वर्णित कार्य के दायरे को पूरा करने के लिए श्रमिकों और वाहनों को प्रदान करना।
- vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।
- vii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, यदि बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यालयों या ग्राहक रिपोर्टों से प्राप्त फीडबैक रिपोर्टों या अन्यथा के आधार पर असंतोषजनक पाई जाती है, तो यह उनकी बोली की अयोग्यता/अस्वीकृति का आधार बनेगा।

2.2 निविदा जारी तथा जमा करना: -

"कटे हुए करेंसी नोट ब्रिकेट/श्रेड्स के निपटान" के लिए निविदा इस दस्तावेज़ के "ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश" में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार **एमएसटीसी वेबसाइट** के माध्यम से अनिवार्यतः अपलोड की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में 24 फरवरी, 2026 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले सहभागिता हेतु निविदाकर्ता के लिए खुली रहेगी।

2.3 (ए) भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक/कार्यों का दायरा और वाणिज्यिक स्थितियां

अ. भाग- I में बिना कीमत वाली निविदा शामिल होगी जिसमें निर्दिष्ट कार्यों का दायरा, कार्यों की एक मद के विनिर्देश, दस्तावेज और वाणिज्यिक नियम और शर्तें आदि शामिल होंगी। बयाना राशि केवल एनईएफटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

आ. प्रस्तुत निविदा के भाग- I में निम्नलिखित शामिल होंगे जब तक कि इस दस्तावेज़ में अलग से अन्यथा न कहा गया हो:

- i. बयाना धन जमा (ईएमडी) एनआईटी में दी गई तारीख को या उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के पक्ष में खाता 186003001 और आईएफएससी - RBIS0KNPA01 में केवल एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- ii. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा /प्राधिकार
- iii. वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।

- iv. तकनीकी विनिर्देश में विचलनों की सूची, यदि कोई हो।
- v. कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।
- इ. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा से पहले स्थल का दौरा करें और स्थल की स्थिति से खुद को परिचित कर लें।
- ई. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा की सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेजों में निहित कार्यों के दायरे के आधार पर निविदा प्रस्तुत करें, और किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। निबंधन और शर्तों से विचलन वाली निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
- उ. सभी सूचना, पत्राचार संबंधी पत्र डुप्लिकेट में प्रस्तुत किए जाएंगे और क्षेत्रीय निदेशक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को संबोधित किए जाएंगे।

2.3 (बी) भाग II - मूल्य बोली

- (अ) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्यस्थल/कार्यकलाप/बैंक परिसर का दौरा करें और स्थल की स्थितियों से परिचित हों।
- (आ) इस भाग में **कीमते केवल भारतीय रुपये** में होंगी और भाग-II निविदा के अनुसार शर्तों को पूरा करने के बाद ऑनलाइन के माध्यम से खोला जाएगा। निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- (इ) दरें **केवल भारतीय रुपये** में उद्धृत की जानी चाहिए। भाग II निविदा के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ई) उद्धृत दरें निविदा के भाग-II पर आधारित होंगी और संपूर्ण निविदा अवधि तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होंगी।

2.4 निविदा का खुलना:

ई-निविदा खोलने के लिए अनुभाग-II में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार।

2.5 बोली पूर्व बैठक

निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक पूर्व-निविदा ब्रीफिंग बैठक **09 फरवरी, 2026 को दोपहर 03:00** बजे निर्गम विभाग, आरबीआई, कानपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।

2.6 निविदा की वैधता

कीमतों के साथ निविदा, निविदा के भाग-1 के खुलने की तारीख से शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में आपसी करार द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा। इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द करने या वापस लेने के मामले में, बैंक प्रतिभूति जमा/पीबीजी को जब्त कर सकता है।

2.7 निविदा मूल्यांकन

2.7.1 बैंक उन निविदाकर्ताओं को ठेका प्रदान करेगा जिनकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिन्होंने एच1 (उच्चतम बोली) पर पहुंचने के लिए निविदा के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बोली मूल्य की पेशकश की है/दी है।

2.7.2 मूल्य बोली समान (टाई) होने की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के तीन मापदंडों के आधार पर निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं की इस स्थिति (टाई स्थिति) का समाधान किया जा सकता है। (1) समान कार्यों में निविदाकर्ता का अनुभव (वर्षों में) (2) समान प्रकृति के पूर्ण कार्यों का कुल मूल्य (3) वार्षिक कारोबार। इन मापदंडों पर क्रमिक रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात्, यदि अंतिम मूल्यांकन के बाद, निविदाकर्ता 'ए' और 'बी' के बीच कोई समान स्थिति (टाई) होती है, तो सफल बोलीदाता के संबंध में निर्णय लेने के लिए यह मापदंड 'वर्षों में समान कार्यों में निविदाकर्ता का अनुभव' पर विचार किया जा सकता है। उपर्युक्त मापदंड से तहत आगे की टाई की स्थिति में, बाद के मापदंड, जैसे, समान प्रकृति के पूर्ण कार्यों के कुल मूल्य पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह आगे भी जारी रहेगा।

2.7.3 निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में किसी भी लागत, प्रभार, क्षति और उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित करने/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

2.8 बयाना धन, सुरक्षा जमा और कार्य निष्पादन बैंक गारंटी

2.8.1 इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा बयाना राशि के रूप में **2,00,000 / - (रुपये दो लाख मात्र)** की राशि का भुगतान केवल एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के पक्ष में खाता संख्या 186003001 और आईएफएससी - RBIS0KNPA01 (5^{वें} और 10 वें अक्षर शून्य है) में एनआईटी में दी गई तारीख से पहले जमा किया जाएगा। ईएमडी जमा किए बिना निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.8.2 बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता एक सप्ताह के भीतर **एनईएफटी** द्वारा 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) की सुरक्षा जमा राशि खाता संख्या **186003001** भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर (**आईएफएससी कोड- RBIS0KNPA01** (5 वां और 10 वां अंक शून्य है) में जमा करेगा। सुरक्षा जमा जमा करने पर, बैंक ईएमडी को बिना ब्याज के सफल निविदाकर्ता को वापस कर देगा। निविदाकर्ता को विभिन्न नियमों और शर्तों वाले एक करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

2.8.3 संविदा अवधि पूरी होने पर बिना किसी ब्याज के सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी; हालांकि, बैंक ठेकेदार से किसी भी बकाया बकाय/क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए जमा राशि के उचित भाग या पूरी राशि का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.8.4 संविदा के तहत दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए, सफल निविदाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के पक्ष में ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदा की पूरी अवधि के लिए वैध ₹5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) की राशि की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत कर सकते हैं। पीबीजी जमा करने पर, सुरक्षा जमा राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पीबीजी का प्रारूप निविदा दस्तावेज के खंड - IX में प्रदान किया गया है।

2.8.5 संविदा की अवधि पूरी होने के 3 महीने के बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे संविदा के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और किसी भी संबंधित एजेंसी या ठेकेदारों के कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होगी।

2.9 प्रारंभ/नवीनीकरण:

- i. बैंक से उसकी निविदा (निविदाओं) की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- ii. संविदा एक समय (यानी अप्रैल-मार्च) में एक वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे बैंक द्वारा अपनी सहमति पर दो साल की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक समय में एक वर्ष और नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना, संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।
- iii. जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो संविदा के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा संविदा की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए संविदा को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

- iv. सफल निविदाकर्ता को उन श्रमिकों की एक सूची प्रस्तुत करनी होगी जिन्हें वह संविदा को अंतिम रूप देने पर काम के लिए उपयोग करेगा और हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर और अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित फोटोकॉपी, एक चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन के साथ अपना पूरा नाम और पता प्रस्तुत करना होगा।

2.10 ठेकेदार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक संविदा को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को वितरित करने में विफल रहता है, तो उसकी सुरक्षा जमा/पीबीजी जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

- i. निविदाकर्ता को आवश्यक परमिट प्राप्त करने और सभी प्रासंगिक करों का भुगतान स्वयं करने की आवश्यकता होगी।
- ii. ठेकेदार संविदा को आगे नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और सुरक्षा जमा/पीबीजी को जब्त कर सकता है।
- iii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, भुगतान किया गया कर, वाहनों को बीमा कवर हो। वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठेकेदार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि की कमी के कारण बैंक द्वारा किए गए या भुगते गए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।

2.11 संविदा और भुगतान की शर्तें

बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

2.11.1 ठेकेदार के पास सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, कानपुर के कार्यालय से एक वैध लाइसेंस होना चाहिए, जैसा कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया है और उपर्युक्त अधिनियम/नियमों की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना चाहिए और देश के सभी लागू श्रम कानूनों का भी अनुपालन करना चाहिए। यदि लाइसेंस लागू नहीं होता है, तो ठेकेदार को उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण देते हुए एक हलफनामा उपलब्ध कराना होगा।

ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और नियम, 1971 के संबंध में अनुपालन

यह अधिनियम उन ठेकेदारों पर लागू होता है जो पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन बीस या उससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, जिससे उनकी ओर से कुछ वैधानिक दायित्व और जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दायित्व/जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

- I. नियोजित ठेका श्रमिकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए।
- II. ठेका श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के लिए मस्टर का रखरखाव ठेकेदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ठेकेदार द्वारा प्रतिनियुक्त ठेकेदार/पर्यवेक्षक के नियंत्रण में होना चाहिए। इस प्रकार, यह ठेकेदार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों के माध्यम से रिकॉर्ड बनाए रखे।
- III. ठेका श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने, किसी भी छुट्टी का अनुदान आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है।
- IV. यह ठेकेदार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने मजदूरों को फोटो पहचान पत्र जारी करे।
- V. भारतीय रिजर्व बैंक ठेका श्रमिकों को कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार को ठेका श्रमिकों के प्रति अपने सभी सांविधिक और अन्य दायित्वों (रोजगार लाभों) का निर्वहन करना चाहिए जैसे कि उनकी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा लाभ, कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत चोट के लिए मुआवजा, आदि। यदि संविदाकार अपने उपर्युक्त दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से कटौती/समायोजन करने या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में वसूलने का हकदार होगा, यदि कोई हो, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेका श्रमिकों को किया गया भुगतान, यदि कोई हो।
- VI. ठेकेदार को भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही मजदूरी का संवितरण करना चाहिए। ठेकेदार भविष्य निधि जमा करेगा और भविष्य निधि जमा का प्रमाण रखेगा।
- VII. मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के नियम 71 के अंतर्गत

संविदाकार का दायित्व है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक को मजदूरी अवधि और मजदूरी के संवितरण के स्थान और समय के बारे में सूचित करे। मजदूरी के नियमों को भी आरबीआई को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

- VIII. अधिनियम की धारा 21(4) के अनुसार, यदि संविदाकार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है अथवा अल्प भुगतान करता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों को यथास्थिति, यथास्थिति, मजदूरी का पूर्ण या देय अवैतनिक शेष राशि का भुगतान करेगा और किसी ठेके के अंतर्गत ठेकेदार को देय किसी राशि से कटौती करके ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई राशि की वसूली करेगा। ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में।
- IX. ठेकेदार ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों के संबंध में सभी प्रकार के रिकॉर्ड/रजिस्टर बनाए रखेगा।
- X. ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए, उसके ठेका श्रम, छंटनी मुआवजा, नोटिस वेतन, ग्रेच्युटी और देय बोनस का भुगतान करे और संपर्ककर्ता अधिनियम और नियमों के तहत आवश्यक सभी कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
- XI. यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह ठेका श्रम अधिनियम/नियमों की उपर्युक्त आवश्यकताओं और उक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के दस्तावेजी साक्ष्य रखे। भारतीय रिज़र्व बैंक को निरीक्षण या सत्यापन के लिए ऐसे दस्तावेज मंगाने का अधिकार होगा और यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रदान करे।
- XII. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013" के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा लैंगिक की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ बैंक के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा लैंगिक की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारी के साथ घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी पर भरोसा किया गया कोई मौद्रिक, यदि ठेकेदार के कर्मचारी

द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

2.11.2 यदि ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 21 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत या लागू किसी अन्य कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है, जिसमें विफल रहने पर वह अकेले ही इसे सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई/कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कृत्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार के मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

2.11.3 ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी और उत्तरदायी होगा जो श्रमिक विभिन्न श्रम कानूनों और अन्य सांविधिक प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं। ठेकेदार उपस्थिति का एक रजिस्टर, मजदूरी का रजिस्टर बनाए रखेगा जिसे बैंक द्वारा समय-समय पर सत्यापन के लिए कहा जाएगा।

2.11.4. इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना धन/सुरक्षा जमा/पीबीजी से काटा जा सकता है यदि राशि इसकी अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की कटौती की गई राशि को नकद में जमा कर देगा।

2.11.5 निविदाकर्ता के पास पर्याप्त साधन होना चाहिए और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक के पास खाता होना चाहिए। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निविदाकर्ता को उन पार्टियों के नाम और पते देने चाहिए जहां उसने अतीत में ऐसी सेवाएं प्रदान की हैं। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां और साझेदारी विलेख/एमएए और निगमन प्रमाण पत्र की प्रतियां, यदि लागू हो, तो बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.11.6 संविदा अवधि एक वर्ष होगी जिसे बैंक द्वारा अपने विकल्प पर अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, संविदा करार के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना एक समय में एक-एक वर्ष और संविदा की शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

2.11.7 ठेकेदार को सौंपे जाने वाले संचालन समय-महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए, ठेकेदार को बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए गए नोटिस पर पर्याप्त और पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करनी चाहिए।

2.11.8 ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह संविदा शुरू होने से पहले पुलिस विभाग द्वारा उसके द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवा ले।

2.12 उपहार निषेध खंड

ठेकेदार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपहार की पेशकश या प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसमें बैंक के किसी भी कर्मचारी या परिवार के सदस्य या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कारण से किसी भी अवसर पर नकद, वाउचर या किसी भी लागत या वित्तीय मूल्य वाली कोई वस्तु शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस तरह के किसी भी प्रयास को संविदा के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संविदा को समाप्ति के लिए उत्तरदायी बना देगा।

2.13 बीमा

ठेकेदार निम्नलिखित जोखिमों को कवर करने वाले सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर सभी बीमा लेगा: ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति। ये नीतियां स्वीकृत संविदा अवधि के लिए मान्य होंगी। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो आरबीआई उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.14 बैंक के अधिकार

2.14.1 बैंक निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियां खोलने की तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.14.2 बैंक किसी भी / सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना किसी दायित्व या उसके किसी कारण के योग्यता की प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.14.3 बैंक बिना कोई कारण बताए कार्य के दायरे को एक से अधिक एजेंसी/एजेंसियों को विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके कारण किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.14.4 यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार को निष्पादित करते समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए बोलीदाता को लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए, इस निविदा के तहत सौंपे जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

2.14.5 ठेकेदार या उसके एजेंट/श्रमिक/ड्राइवर जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंक की राय में, बिना किसी नोटिस या उसके बदले में किसी भी मुआवजे के तुरंत दंड और/या करार की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.14.6 उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार अवधि के दौरान दोनों पक्षों को तीन महीने के नोटिस के साथ करार समाप्त किया जा सकता है।

2.15 विवाद समाधान

2.15.1 यह विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी / सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

2.15.2 करार के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ यानी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को भेजा जाएगा और लिखित रूप में उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया नहीं गया है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल कानपुर होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है।

2.16 अप्रत्याशित घटना

2.16.1 इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि इस तरह की देरी इसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है [जिसमें सरकारों के कार्यों, ईश्वर के कार्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता के कारण होने वाली किसी भी देरी के बिना सीमा के शामिल हैं, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित)] बशर्ते कि पार्टी के आपूर्तिकर्ता द्वारा इतनी देरी करने से उस पक्ष को देरी के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर हो ।

2.17 अस्वीकरण

2.17.1 हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो

यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।

2.17.2 बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.17.3 हालांकि यह दस्तावेज अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार यहां दिए गए किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करते हैं, और इसके तहत कोई दायित्व नहीं होगा। इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में कोई भी कानून, क़ानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

2.18 गोपनीयता कथन

2.18.1 इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी या बाद में निविदाकर्ता (ओं) को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या बैंक की ओर से या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई हो, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

2.18.2 इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।

2.18.3 इस निविदा दस्तावेज में प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल नहीं है।

2.18.4 यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और प्रत्येक बोलीदाता की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है जो इस निविदा दस्तावेज को पढ़ता है या उपयोग करता है।

2.18.5 प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज़ में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

2.18.6 बैंक और उसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, क़ानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे।

2.18.7 यह दस्तावेज़ और उसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और पूरी तरह से निविदाकर्ता (ओं) के उपयोग के लिए अभिप्रेत है।

2.19 अयोग्यता/समाप्ति/जुर्माना:

2.19.1 यदि कोई निविदाकर्ता, निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कोई प्रचार करने का प्रयास करता है या संविदा की जांच, तुलना, मूल्यांकन और पुरस्कार पर बैंक के निर्णय के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में निविदाकर्ता की निविदा अगले 3 वर्षों के लिए काली सूची में डाले जाने के अलावा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अयोग्यता तत्काल प्रभाव से होगी। किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा संविदा समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।

2.19.2 ब्रिकेट उठाने के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में ठेकेदार द्वारा किसी भी देरी या संविदा के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर द्वारा दंड को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है, पूर्वोक्त महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग क्षेत्रीय निदेशक के परामर्श से ठेकेदार पर प्रत्येक मामले के लिए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) तक का जुर्माना लगा सकता है।

2.19.3 बार-बार या निरंतर देरी के मामले में या ठेकेदार द्वारा इस करार के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचित करके इस संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है कि क्या इस तरह के विलंब या उल्लंघन के लिए पहले प्रदान किया गया कोई जुर्माना लगाया गया है लगाया गया है या नहीं।

2.19.4 संविदा की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर दिया जाएगा।

2.19.5 यदि ठेकेदार लगातार 3 से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को बिना किसी नोटिस के संविदा को समाप्त करने का अधिकार है, चाहे जो भी कारण हो। ऐसे मामले में ट्रांसपोर्टर के पास मुआवजे का दावा करने की कोई शक्ति नहीं है।

2.20 क़ानून का पालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार बैंक को उनके या कर्मचारी की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

2.20.1 कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई लाभांश, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, ठेकेदार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; इसे संविदा को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सुरक्षा जमा/पीबीजी से काट लिया जाएगा। ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा।

2.20.2 ठेकेदार सभी अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों को प्रचलित क़ानून के अनुसार अद्यतन बनाए रखेगा और बनाए रखेगा और जब भी बैंक के प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा।

2.21 गैर-प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा किसी तीसरे पक्ष को नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है और हर समय ईईए गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने

श्रमिकों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

2.22 आईएस नीति

विक्रेता/ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

2.23 संभावित बोलीदाताओं के रूप में पार्टिकल बोर्ड निर्माताओं पर विचार

बैंक नोट पेपर सबस्ट्रेट में शेष सामग्री जैसे सुरक्षा धागे और फाइबर, सुरक्षा स्याही और बैंक नोटों की छपाई में उपयोग किए जाने वाले अन्य रसायनों के पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और गंदे बैंक नोटों के निपटान के लिए स्थिरता मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक नोटों के टुकड़े/ब्रिकेट के निपटान के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान तलाश रहा है।

इस तरह के टिकाऊ विकल्पों में से एक कुछ लंबे समय तक चलने वाली सामग्री जैसे बोर्ड पैनल, इंटीरियर डिजाइन के लिए सामग्री, कण बोर्ड फर्नीचर और ध्वनिक अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए गंदे बैंकनोट के टुकड़ों का पुनः उपयोग है।

इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईडब्ल्यूएसटी) द्वारा एक अध्ययन शुरू किया था, जिसमें पार्टिकल बोर्डों का निर्माण करने के लिए लकड़ी के कणों के साथ बैंकनोट ब्रिकेट प्रतिस्थापन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन ने स्थापित किया कि मुद्रा ईट कणों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ बनाए गए कण बोर्ड कण बोर्ड की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

चूंकि उपरोक्त अध्ययन से यह स्थापित हो गया है कि बैंकनोट श्रेड्स का उपयोग पार्टिकल बोर्डों के निर्माण के लिए कच्चे माल के पूरक के रूप में और कटे हुए करेंसी नोट ब्रिकेट के पर्यावरण के अनुकूल अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए पार्टिकल बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स को पार्टिकल बोर्ड के निर्माण में कच्चे माल के रूप में इन ब्रिकेटों का उपयोग करने के उद्देश्य से ब्रिकेट की खरीद और उठाने के लिए संभावित बोलीदाताओं के रूप में भी माना जाएगा

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन और मानक समझौते की सामग्री के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है और इसे स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता _____

सील

सत्यापित करना

1. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

खंड- III

कार्यों का दायरा

- 3.1 ठेकेदार उन श्रमिकों की एक सूची प्रस्तुत करेगा जिनकी संख्या 19 (उन्नीस) से अधिक नहीं हो, जिन्हें वह ब्रिकेट उठाने के उद्देश्य से नियुक्त करेगा और हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके पूरे नाम और पते देगा। ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह संविदा शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा उसके द्वारा लगाए गए सभी मजदूरों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवाए। ठेकेदार सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों की संख्या 19 (उन्नीस) से अधिक है।
- 3.2 ठेकेदार को सप्ताह में कम से कम एक / दो बार और / या बैंक के आदेशों के अनुसार "जैसा है जहां है" के आधार पर ब्रिकेट के संचित बैग उठाने की आवश्यकता होगी और किसी भी संचय की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठेकेदार अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में बोरे की व्यवस्था भी करेगा। बोरे अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और प्रति बोरी 50-70 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।
- 3.3 ठेकेदार बैंक के आदेशों के अनुसार, कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच केवल बैंक कर्मचारियों की उपस्थिति में ब्रिकेट-बैग उठाने के लिए श्रम और परिवहन व्यवस्था करेगा।
- 3.4 ठेकेदार ब्रिकेट बैग को भरने और से उठा कर बैंक द्वारा निर्धारित एक उपयुक्त स्थान पर रखने की व्यवस्था करेगा।
- 3.5 ठेकेदार को अपने खर्च पर परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। परिवहन के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए, सभी करों का भुगतान किया जाना चाहिए और वैध परमिट के साथ। तैनात चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ड्राइवरों/सहायकों के पूर्ववृत्त को पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
- 3.6 ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षा जमा के रूप में **5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) जमा करेगा**। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ठेकेदार प्रतिदिन ब्रिकेट उठाने में विफल रहता है, तो बैंक ब्रिकेट/टुकड़ों का निपटान करने के लिए स्वतंत्र

होगा जैसा कि वह उचित समझे और संविदा के गैर-निष्पादन के लिए ठेकेदार की सुरक्षा जमा / पीबीजी को जब्त करने सहित संविदा को रद्द कर देगा। इसके अलावा, यदि ठेकेदार संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किसी भी तरह से विफल रहता है, तो बैंक प्रति दिन 5000/- रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है।

3.7 बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय करार को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। यदि ठेकेदार करार के अनुसार अपने किसी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है या किसी सामान्य अनुदेशों और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक द्वारा बिना किसी सूचना के संविदा को तुरंत समाप्त किया जा सकता है।

3.8 बैग (बैग) के वजन को कम करने के बाद, जिस दर पर संविदा दिया गया था, उस दर पर उठाए गए ब्रिकेट के वजन के लिए ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। भुगतान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किया जाएगा। ब्रिकेट जारी करने के लिए गेट पास ठेकेदार से भुगतान प्राप्त होने पर ही जारी किया जाएगा। भुगतान केवल एनईएफटी/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3.9 ब्रिकेट का वजन बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा।

3.10 ठेकेदार इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करेगा कि ब्रिकेट का निपटान केंद्र सरकार और/या किसी भी राज्य सरकार के प्रचलित अधिनियमों/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण इसके निपटान से प्रदूषित न हो।

3.11 ब्रिकेट को गंतव्य तक ले जाते समय, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ब्रिकेट रास्ते में न गिरे या गलत/अनजाने वाले व्यक्तियों के कब्जे में न आए। यदि ठेकेदार स्वयं ब्रिकेट के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो ठेकेदार अंतिम उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे।

3.12 बैंक द्वारा कटे हुए नोटों के ब्रिकेट/टुकड़ों के निपटान पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाया गया कोई भी कर/वैट ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

3.13 ठेकेदार किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या वस्तुओं को ले जाने में देरी के कारण या अपनी ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के किसी भी कार्य के कारण बैंक को किसी भी क्षति या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। बैंक द्वारा इस तरह के नुकसान का आकलन अंतिम होगा और ठेकेदार को उचित नोटिस के बाद उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।

3.14 ठेकेदार अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों/वाहनों के सत्यापन और पहचान के लिए

जिम्मेदार होगा, जिनका उपयोग इस संविदा के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और बैंक के परिसर में प्रवेश करने/जाने से पहले बैंक के अधिकारियों से आवश्यक सुरक्षा पास आदि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इस संविदा को जारी रखने के दौरान बैंक द्वारा आवश्यक पुलिस/परिवहन अधिकारियों आदि से आवश्यक सत्यापन/प्रमाणन शामिल होगा। इस तरह के सभी सत्यापन/प्रमाणन को वैध और स्थिति में बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होगी। इस संविदा के प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए अपने श्रमिकों के पुलिस सत्यापन की एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.15 ठेकेदार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले क्षेत्रीय निदेशक या मप्र/उमप्र (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के क्षेत्रीय निदेशक या मप्र/उमप्र (प्रभारी अधिकारी), का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.16 संविदा की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे बैंक द्वारा ठेकेदार की सहमति से अपने विकल्प पर बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष के दो चरणों में दो साल की अवधि के लिए बैंक की सहमति से संविदा के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

3.17 संविदा के तहत वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन, यदि कोई हो, संविदा को अमान्य बना सकता है।

खंड IV
निविदाकार द्वारा भरा जाने वाला विवरण

1. निविदाकार का नाम:
2. पता:
3. टेलीफोन नं. :
4. मोबाइल नं. :
5. ईमेल आईडी
6. पैन/टैन नं.
7. निविदाकार का गठन (चाहे कोई कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की प्रति)
8. प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशक का नाम (जमा किए जाने वाले दस्तावेज की प्रति)
9. बैंकरो के विवरण:

खाते का नाम	शाखा का पता	खाते की प्रकृति	खाता संख्या

10. जमा की गई बयाना राशि का विवरण:
11. उस संस्थान का विवरण जिसके साथ इसी तरह के अनुबंध किए गए हैं या किए जा रहे हैं (कार्य आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियां, अनुभव प्रमाण पत्र / उसके समर्थन में पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है)।

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता और दूरभाष नं.	ईमेल	अनुबंध की अवधि	काम का मूल्य
1.					

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदाकार के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों और मानक समझौते की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है और इसे स्वीकार करते हैं। मैं/हम घोषणा करते हैं

कि हमारे द्वारा दिए गए विवरण/जानकारी सत्य हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर____

पता _____

सील

स्थान:

दिनांक:

सत्यापित करना:

1. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर :

नाम:

पता

खंड V- करार की शर्तें
(सफल निविदाकार के साथ निष्पादित किया जाए)

यह करार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित एक निगमित निकाय और महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसकी अभिव्यक्ति में कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) और मेसर्स _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) (जिसकी अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी शामिल होंगे) के मध्य दिनांक _____ को निष्पादित किया गया। पर

जबकि, ठेकेदार ने 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 (दोनों दिन शामिल) **तक एक वर्ष की अवधि के लिए कटे हुए करेंसी नोट ब्रिकेट/श्रेड्स के निपटान के लिए दरों** पर और यहां निर्दिष्ट शर्तों पर यहां अनुसूचियों के साथ निविदा जारी की है।

और जबकि, बैंक ने इस तरह की निविदा को स्वीकार कर लिया है और इस करार को निष्पादित करने के लिए सभी पक्षों द्वारा और उनके बीच सहमति व्यक्त की गई है।

अब यह पारस्परिक रूप से सहमत है और इस प्रकार घोषित किया गया है:

एक. एक. ठेकेदार उन श्रमिकों की एक सूची प्रस्तुत करेगा जिनकी संख्या 19 (उन्नीस) से अधिक नहीं होगी, जिन्हें वह ब्रिकेट उठाने के उद्देश्य से नियुक्त करेगा और अद्यतन पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके पूरा नाम और पता देगा। ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह अनुबंध शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा उसके द्वारा नियुक्त सभी मजदूरों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवाए। ठेकेदार सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों की संख्या 19 (उन्नीस) से अधिक है।

एक. दो. ठेकेदार को सप्ताह में कम से कम एक / दो बार और/या बैंक के आदेशों के अनुसार "जैसा है जहां है" के आधार पर ब्रिकेट के संचित बैग को उठाने की आवश्यकता होगी और ब्रिकेट के किसी भी संचय की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठेकेदार अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में बैग की व्यवस्था भी करेगा। बैग अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और प्रति बैग 50-70 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

एक. तीन. ठेकेदार को अपने खर्च पर परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। परिवहन के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग

किए जाने वाले वाहनों को बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए, वैध परमिट के साथ सभी करों का भुगतान किया गया हो और तैनात चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ड्राइवरों/सहायकों के पूर्ववृत्त को पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। नियुक्त सभी श्रमिकों का पुलिस सत्यापन ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और ठेकेदार द्वारा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

एक.चार. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक द्वारा तय किए गए तौल ब्रिज पर लोडिंग, निपटान और वजन करने की पूरी प्रक्रिया किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के भीतर यानी सुबह 09:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पूरी की जाएगी।

एक.पाँच. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रतिभूति जमा के रूप में 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) जमा करेगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय करार को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। यदि ठेकेदार करार के संदर्भ में अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है या इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक द्वारा बिना किसी सूचना के अनुबंध को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। यदि ठेकेदार अनुबंध के अनुसार ब्रिकेट उठाने में विफल रहता है, तो बैंक ब्रिकेट/टुकड़ों का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा वह उचित समझे और अनुबंध के गैर-निष्पादन के लिए ठेकेदार की प्रतिभूति जमा / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने सहित अनुबंध को रद्द कर देगा। इसके अलावा, बैंक प्रति दिन ₹5000/- का जुर्माना भी लगा सकता है, यदि ठेकेदार किसी भी तरह से संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। भुगतान केवल एनईएफटी/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

एक.छः. बैग के वजन को कम करने के बाद, जिस दर पर अनुबंध दिया गया था, उस दर पर उठाए गए ब्रिकेट के वजन के लिए ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। भुगतान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किया जाएगा। ब्रिकेट जारी करने के लिए गेट पास ठेकेदार से भुगतान प्राप्त होने पर ही जारी किया जाएगा। ब्रिकेट का वजन बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। ब्रिकेट वाले भरे हुए बैग को आरबीआई द्वारा तौला जाएगा। ब्रिकेट का निपटान/उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाएगा और ठेकेदार को इस आशय का प्रमाण पत्र/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एक.सात. ब्रिकेट को गंतव्य तक ले जाते समय, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ब्रिकेट रास्ते से न गिरे या गलत/अनजाने व्यक्तियों के पास न आए। यदि ठेकेदार स्वयं ब्रिकेट के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो ठेकेदार अंतिम उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे।

एक.आठ. बैंक द्वारा कटे हुए नोट ब्रिकेट/टुकड़ों के निपटान पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी भी कर/वैट/जीएसटी को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

एक.नौ. ठेकेदार किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या वस्तुओं को ले जाने में देरी के कारण या अपनी ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के किसी भी कार्य के कारण या उसके द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के कारण बैंक को किसी भी क्षति या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। बैंक द्वारा इस तरह के नुकसान का आकलन अंतिम होगा और ठेकेदार को उचित नोटिस के बाद उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।

एक.दस. ठेकेदार अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों/वाहनों के सत्यापन और पहचान के लिए जिम्मेदार होगा जिनका उपयोग इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और बैंक के परिसर में प्रवेश करने/जाने से पहले बैंक के अधिकारियों से आवश्यक सुरक्षा पास प्राप्त करेंगे। इसमें इस अनुबंध को जारी रखने के दौरान समय-समय पर बैंक द्वारा लिखित रूप में आवश्यक सत्यापन/प्रमाणन शामिल होगा। इस तरह के सभी सत्यापन/प्रमाणन को वैध और वर्तमान स्थिति में बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होगी।

एक.ग्यारह. यह स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जा सकता है कि यह अनुबंध बैंक और ठेकेदार के बीच एक सेवा अनुबंध है और यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह अपने रोजगार में कर्मचारियों की सभी संविदात्मक / कानूनी / कल्याण / किसी भी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करे, आकस्मिक या अन्यथा, और बैंक के नाम का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

एक.बारह. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुबंध का कोई भी कर्मचारी/ भागीदार/सहयोगी आदि या इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए बैंक के भीतर आने और काम करने वाले या अन्यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेंगे और न ही अनुबंध अवधि के दौरान/बाद में बैंक परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए उसे जारी किए गए सुरक्षा पास/पहचान का दुरुपयोग करेंगे। ठेकेदार अपने कर्मियों/कामगारों को इस बारे में अवगत कराएगा और इस खंड के उल्लंघन के कारण बैंक को कोई नुकसान होने की स्थिति में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

एक.तेरह. अनुबंध की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी, जिसे बैंक द्वारा ठेकेदार की सहमति से अपने विकल्प पर बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष के लिए और दो चरणों में दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि बैंक के अनुसार संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन होगा। इस बात पर विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एक.चौदह. अनुबंध के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ यानी क्षेत्रीय

निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के पास भेजा जाएगा और लिखित रूप में उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया नहीं गया है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल कानपुर होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

एक.पंद्रह. अनुबंध निर्गम विभाग द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा के अधीन होगा और लगातार या निरंतर देरी के मामले में या इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान के ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, अनुबंध को बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध की ऐसी समाप्ति पर, बैंक के पास रु.5,00,000.00 (केवल पांच लाख रुपये) की उक्त जमा राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है, जैसा कि निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा निर्धारित किया गया है।

एक.सोलह. उपर्युक्त पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध दोनों ओर (बैंक या ठेकेदार द्वारा) तीन महीने के नोटिस के साथ समाप्त हो जाएगा, जो पावती के खिलाफ दूसरे पक्ष को लिखित रूप में दिया गया हो, यदि हाथ से सुपुर्द किया गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा।

एक.सत्रह. यह अनुबंध, कार्य सौंपे जाने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लागू होगा। अनुबंध को बैंक द्वारा अपने विकल्प पर, दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए, एक बार में एक-एक वर्ष के लिए, अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना बढ़ाया जा सकता है।

एक.अठारह. बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार **एनईएफटी द्वारा खाता संख्या में 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) की प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगा**, खाता संख्या **186003001**, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर (**आईएफएससी- RBIS0KNPA01** (जिसमें 5 वां और 10 वां अंक शून्य है)। इस तरह की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने पर, बैंक बयाना जमा राशि को बिना ब्याज के सफल निविदाकार को वापस कर देगा। निविदाकार द्वारा विभिन्न नियमों और शर्तों वाले एक करार पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

एक.उन्नीस. इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशि बयाना जमा राशि/प्रतिभूति जमा/कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी से कटौती की जाएगी। इस तरह की कटौतियों के कारण होने वाली कमी को ठेकेदार द्वारा इस तरह की कटौती से तीन कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

एक.बीस. यह समझौता डुप्लिकेट में रु.100.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा, मूल प्रति बैंक द्वारा और डुप्लिकेट ठेकेदार द्वारा रखी जाएगी।

एक.इक्कीस. ठेकेदार किसी अन्य फर्म को अनुबंध नहीं सौंपेगा। वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जहां प्रतिभूति जमा/कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी, बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

एक.बाईस. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी ब्रिकेट रास्ते में न गिरे या गलत/अनपेक्षित व्यक्ति के कब्जे में न आए। ठेकेदार द्वारा यह प्रस्तुत किया जाए कि ब्रिकेट को गंतव्य तक ले जाया जा रहा है और बाद में उनके द्वारा समझौते में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। उप-ठेकेदार का नाम, पता, यदि कोई हो और गंतव्य/स्थान जहां ब्रिकेट ले जाया जा रहा है, हमें सूचित किया जाए।

एक.तेईस. ठेकेदार अन्य सभी लागू सरकारी करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एक.चौबीस. लागू दरों पर कर ठेकेदार से अलग से लिए जाएंगे।

एक.पच्चीस. ठेकेदार को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि बैंक द्वारा उसे बेचे गए ब्रिकेटों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और इन ब्रिकेटों का उपयोग भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिनियम/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा/लागू किसी अन्य कानून के अनुसार होगा।

एक.छब्बीस. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 की धारा 21 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रदान किए गए सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, कानपुर के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और उपरोक्त अधिनियम या किसी अन्य कानून की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा। ऐसे नियम, आदेश, सरकारी संकल्प आदि जो लागू हो सकते हैं या बाद में जारी किए जा सकते हैं या अन्यथा किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जा सकते हैं। यदि लाइसेंस लागू नहीं होता है, तो ठेकेदार को उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण देते हुए एक शपथपत्र उपलब्ध कराना होगा।

एक.सत्ताईस. यदि ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 की धारा 21 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) अथवा लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत यथा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसा न करने पर वह ही कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कृत्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार के मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

एक.अठ्ठाईस. ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, जो श्रमिक विभिन्न श्रम कानूनों और अन्य सांविधिक प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं। ठेकेदार उपस्थिति का एक रजिस्टर, मजदूरी का रजिस्टर बनाए रखेगा जिसे बैंक द्वारा

समय-समय पर सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

एक.उन्तीस. **बीमा:** सफल निविदाकार अनुबंध के निष्पादन के संबंध में लगे मजदूरों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त बीमा कवर लेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर हमेशा जीवित रखा जाए। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए और ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट करने के लिए उसे सत्यापित करे और जांच करे। यदि बैंक को लगता है कि ठेकेदार द्वारा ली गई बीमा कवर की राशि पर्याप्त नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करती है जिनके लिए श्रमिकों को उनके काम में शामिल जोखिम की संभावना है, तो ठेकेदार अतिरिक्त राशि के साथ-साथ बैंक द्वारा निर्धारित अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए मौजूदा बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं किए गए जोखिमों के लिए बीमा कवर खरीदेगा तथा ऐसा न करने पर बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में किए गए खर्चों की वसूली ठेकेदार से करेगा।

एक.तीस. **गैर-प्रकटीकरण:** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के संज्ञान में आ सकता है। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक उसे प्रकट करना आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

एक.इक्कीस. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति तक बने रहेंगे।

एक.बत्तीस. विक्रेता/ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

2. ठेकेदार बाल श्रम की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध है।

दो.एक.एक. ठेकेदार/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर

के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायतों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

दो.एक.दो. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ बैंक के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

दो.एक.तीन. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को मौद्रिक सहायता प्रदान किया जाएगा।

दो.एक.चार. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

दो.एक.पाँच. ठेकेदार, बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

3. कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई लाभांश, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, ठेकेदार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसे बिल से काट लिया जाएगा। ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा।

4. निविदा सूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों को इस समझौते के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

5. इसके साक्ष्यस्वरूप, जबकि पक्षकारों ने इन कार्यों के निष्पादन के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदाकार के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों को पढ़ा और समझा है और मानक समझौते की सामग्री को भी स्वीकार करते हैं और इससे सहमत हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर_____

पता_____

सील

स्थान:

दिनांक:

1. हस्ताक्षर :
नाम:
पता:

2. हस्ताक्षर :
नाम:
पता:

खंड VI:

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- i. अनुभव प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र (पिछले 5 वर्षों में इसी तरह की प्रकृति के कार्य) प्रस्तुत किया जाए। इनमें ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे।
- ii. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि (पी/एल) विवरणों की प्रतियां। वार्षिक कारोबार के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र।
- iii. खंड I, II और IV पर हस्ताक्षर किए जाएं, मुहर लगाई जाए और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- iv. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- v. आवेदक के बैंकर द्वारा विशेष रूप से पैनल/कार्य के उद्देश्य से ₹1 करोड़ के समतुल्य राशि के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र।
- vi. यह वचन देते हुए कि कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है।
- vii. स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन नंबर की प्रतियां।
- viii. एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई, कानपुर खाते में जमा बयाना राशि की रसीद
- ix. पिछले एक वर्ष की बैंक विवरणियाँ
- x. संविदा अधिनियम के तहत पंजीकरण/लाइसेंस आदि।
- xi. इकाई की प्रकृति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति; कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटर फर्म आदि।
- xii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आईटीआर।

नोट: उपर्युक्त सभी दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाए। निविदाकार द्वारा उपर्युक्त में से किसी भी

दस्तावेज को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, बैंक के विवेकाधिकार पर निविदा को भाग-। में अयोग्य माना जाएगा।

खंड VII: भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)

तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए दस्तावेज़ में पहले निर्धारित पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों को पूरा किया जाए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा:

क्र. सं.	तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड	विवरण	मूल्यांकन के लिए दस्तावेज़
1.	अनुभव	निविदाकारों को इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। आवेदक को 5 साल के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (यानी; यदि विज्ञापन वर्ष 2010 में जारी किया जाता है, तो आवेदक द्वारा 2005 में कार्य किया गया हो)।	अनुभव प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र / कार्य आदेश
2.	प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता)	पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव, जिसमें से एक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: i. तीन समान पूर्ण किए गए कार्यों की लागत ₹40 लाख (अनुमानित लागत का 40%) के बराबर राशि से कम न हो या ii. दो समान पूर्ण किए गए कार्यों में से प्रत्येक की लागत 50 लाख (अनुमानित लागत का 50%) के बराबर राशि से कम न हो या iii. इसी तरह के एक कार्य की लागत 80 लाख (अनुमानित लागत का 80%) के बराबर राशि से कम न हो।	अनुभव प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र / कार्य आदेश
3.	वार्षिक टर्नओवर	निविदाकार के पास 31 मार्च को समाप्त	पिछले 3 वर्षों के लिए लेखापरीक्षित

		होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 100 प्रतिशत यानी 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बराबर राशि का वार्षिक कारोबार होना चाहिए	वित्तीय विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट
4.	ऋण शोधन क्षमता	निविदाकार को आवेदक के बैंकर द्वारा विशेष रूप से पैनल/कार्य के उद्देश्य से जारी एक सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, जो ₹1 करोड़ के समतुल्य राशि के लिए हो।	आवेदक के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र

खंड- VIII

(कीमत बोली)

क्र. सं.	विवरण	माप की इकाई	दर (केवल INR में)
1	"जैसा है जहां है" आधार पर बड़ी मात्रा में कटे हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट/टुकड़ों का निपटान। इस कार्य में ब्रिकेट उठाने के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना, पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले बैग (प्रत्येक बैग 50 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त) और कटे हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट/टुकड़ों के परिवहन की व्यवस्था करना शामिल है। इस कार्य में मशीन रूम से दैनिक आधार पर नियमित रूप से ब्रिकेट/श्रेड्स को उठाना, क्षेत्र को साफ करना और बैंक के निर्देशानुसार किसी प्रकार का संचय नहीं होने देना भी शामिल है।	प्रति किलोग्राम	

टिप्पणियाँ:-

- बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे केवल एमएसटीसी पोर्टल पर दरों का उल्लेख करें। ऊपर दी गई कीमत बोली सांकेतिक है।
- उद्धृत दर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों आदि द्वारा लगाए गए सभी करों, शुल्कों को छोड़कर होगी। कटे हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट/टुकड़ों के निपटान पर सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी कर/शुल्क/लेवी का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
- उद्धृत दरों की वैधता निविदाओं के भाग-I के खुलने की तारीख से 3 महीने की होगी।
- उठाए गए ब्रिकेट/श्रेड्स के वजन के लिए ठेकेदार द्वारा उठाने/उतारने से पहले भुगतान किया जाएगा।
- उद्धृत दर, करार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।
- कार्य के दायरे को स्पष्ट करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष में मात्रा 1300 -1400 टन तक भिन्न हो सकती है। ऊपर उल्लिखित कार्यकलाप/मात्रा/कार्यक्षेत्र केवल पिछले अनुभव के अनुसार सांकेतिक हैं और भविष्य के कार्यों में भिन्न हो सकते हैं। ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों / मात्रा / कार्यक्षेत्र को भुगतान के आधार के रूप में नहीं माना जाएगा। भुगतान केवल किए गए वास्तविक कार्यों के आधार पर किया जाएगा।
- लागू दरों के अनुसार जीएसटी और टीसीएस ठेकेदार से ब्रिकेट की बिक्री से प्राप्त आय पर एकत्र किया जाएगा।

खंड - VIII

प्रतिभूति जमाराशि के लिए बैंक गारंटी के प्रोफार्मा का प्रारूप

(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाना है)

संख्या:

दिनांक:

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मॉल रोड, कानपुर – 208001

मैसर्स _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा गया है) द्वारा दिनांक की उनकी ई-निविदा तथा दिनांक की आपकी संविदा में निर्धारित या संदर्भित परस्पर सहमति से तय परिवर्तनों के अधीन संविदा तथा इससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों की आपकी विशेष शर्तों के अनुसार उक्त निविदा के लिए आपके साथ संविदा के अनुसार तथा आपके द्वारा अपनी संविदा के संदर्भ में आपके लिए उनके द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जमा किए जाने हेतु रु. (रु. मात्र) की प्रतिभूति जमाराशि को स्वीकार करने के लिए सहमत होने के मद्देनजर, हम (बैंक का नाम) इस प्रकार वचन देते हैं और सहमत हैं:

1. उक्त संविदा में उल्लिखित नियम और शर्तों में ठेकेदार की ओर से किसी उल्लंघन के कारण हुई हानि या क्षति के बदले तथा उक्त निविदा के अधीन या अन्यथा संविदा के सही इरादे और अर्थ के अनुसरण में संबंधित किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में किसी भी कार्य को पूरा किए जाने में ठेकेदार द्वारा कोई भी चूक किए जाने पर हम आपको समय-समय पर रु. (रु. मात्र) की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं तथा ठेकेदार की ओर से उक्त चूक के कारण अपनी हानि तथा/या क्षति, लागत, प्रभार या व्यय के कारण आपके द्वारा दावा की गई अधिकतम रु. (रु. मात्र) की राशि की मांग पर तत्काल आपको भुगतान करेंगे।
2. इसके प्रतिकूल कुछ भी होने के बावजूद, आपके द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय हमारे ऊपर बाध्यकर होगा कि ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई चूक की गई है तथा ऐसी चूक के कारण आप उक्त राशि के हकदार हैं तथा हम आपको इस गारंटी के अधीन अपना दावा साबित करने के लिए कहने के हकदार नहीं हैं बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तत्काल भुगतान किया जाएगा।
3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और वैध बनी रहेगी जब तक कि उक्त संविदा की संबंधित गारंटी अवधि समाप्त हो जाने के बाद तथा उक्त संविदा के अधीन ठेकेदार अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किए जाने और उक्त संविदा के अधीन कार्य के विधिवत पूरा हो जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार के आवेदन पर इसे आपके द्वारा जारी न कर दिया जाए। इसके बावजूद यह गारंटी के बाद लागू नहीं रहेगी और इस बात के बावजूद कि आपका दावा उक्त तारीख के बाद लागू होता है, उक्त तारीख से तीन (03) महीने तक, जो तारीख हमारे विरुद्ध लागू होगी, के भीतर उत्पन्न आपके दावे या दावों या लिखित रूप में हमसे मांगे गए या हमें सूचित किए गए दावों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. किसी भी कारण से यदि इस गारंटी का विस्तार आवश्यक हुआ तो हम आपके लिए आवश्यक अवधि तक इस गारंटी का विस्तार करने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. आपके पास इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त संविदा के नियमों और शर्तों को बदलने के लिए या ठेकेदार के कार्यनिष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर किसी भी समय के लिए ठेकेदार के विरुद्ध अपने अधिकारों या शक्तियों और संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या रोकथाम करने का पूर्ण अधिकार होगा और हमें पूर्वनिर्धारित मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए समय के कारण या आपके स्तर पर किसी अन्य माफी, कार्य या चूक के कारण या ठेकेदार के साथ आपकी संलिप्तता के कारण या उक्त संविदा में किसी परिवर्तन या रूपांतरण के कारण या किसी कार्य, मामला या अन्य बातों के कारण जिससे जमानतदारों के लिए कानून के अधीन ऐसे प्रावधान हों जिससे हम अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हों, इसके अधीन उल्लिखित कोई भी बात हमारी उपर्युक्त देयता को रु. (रुपये) से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपकी ओर से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी सिक्वोरिटी को लेने या बदलने से या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसा भी मामला हो, प्रभावित नहीं हो सकती है,
7. इस गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, इसमें कार्य करने के लिए आप इस प्रकार हकदार होंगे जैसे कि आप ठेकेदार के विरुद्ध अपने सभी दावों के संबंध में मुख्य देनदार हैं, जो हमारे द्वारा उपर्युक्त के रूप में गारंटीकृत है और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से हमारे प्रतिभूति और अन्य ऐसे सभी अधिकारों, यदि कोई हो, को त्यागते हैं जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. उपर्युक्त के रूप में हमारी देनदारी की अधिकतम सीमा के अधीन, इस गारंटी से ठेकेदार के खिलाफ समय-समय पर उक्त संविदा के संबंध में उत्पन्न होने आपके सभी दावों को तथा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले संबंधित लिखित रूप में दावों को शामिल किया जाएगा।
9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके अधीन कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपर्युक्त स्थानीय पते पर भेजी जा सकती है और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है, तो इसे तब ही दिया हुआ माना जाएगा जब उसे डाक में डाला गया हो।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा (किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) इसके पहले दी गई और अब बिना रद्द की हुई अन्य गारंटी के अतिरिक्त है न कि उसे सीमित करने या घटाने वाली तथा इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी को निरस्त करना नहीं है और न ही यह उसे/उन्हें निरस्त करेगी या सीमित करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संघटन में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही आपके संघटन में किसी भी परिवर्तन या किसी एकीकरण या उसके द्वारा या उसके साथ समावेश से प्रभावित होगा तथा उक्त समाविष्ट या एकीकृत कंपनी या फर्म का लाभ सुनिश्चित करेगी और उपलब्ध रहेगी और उनके द्वारा लागू किए जाने योग्य होगी।

12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से किसी सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकार के साथ बैंक की संलिप्तता से जमानतदार को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा इस गारंटी के अधीन जमानतदार की देयता बैंक द्वारा इस संबंध में जमानतदार को दी गई सूचना पर समाप्त होगी।
13. यह गारंटी अपनी वैधता अवधि के दौरान अप्रतिसंहरणीय है और आपकी लिखित अनुमति के बिना इसे निरस्त नहीं किया जाएगा।
14. हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि हम आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच विद्यमान या उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांग की गई राशि को बिना किसी आपत्ति के भुगतान करेंगे।
15. इसमें किसी बात के निहित होने के बावजूद गारंटी के तहत हमारी देयता रु. (रुपये मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीनों के भीतर, जिसमें समय-विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, भुगतान के लिए हमारे पास कोई लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के अधीन आपके सभी दावे समाप्त हो जाएंगे और यह माना जाएगा कि हम इस गारंटी के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त हो गए हैं और इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि मूल गारंटी हमें वापस की गई है या नहीं।
16. हमारे पास हमारे बैंक के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के तहत इस गारंटी जारी करने की शक्ति है और बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने के लिए पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द
(उक्त बैंक के लिए और उसकी ओर से)

बैंक के लिए और उसकी ओर से (बैंकर का नाम और मुहर)
शाखा प्रबंधक
(बैंकर की मुहर)
पता